हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड निर्माण मण्डल शिमला-171002 का लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.92 से 31.3.1993 तक ।

भाग- एक

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

गत लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में बकाया पैरों के उपर शीघ्र उचित कार्यवाही करके अनुपालना इस विभाग को प्रेषित करें ।

क) अवधि 4/84 से 3/85 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

1)	पैरा संख्या : 3 तथा 4	अनिर्णीत ।
2)	पैरा 5	निर्णीत ।
3)	पैरा 6)1)	यथोपरि
4)	पैरा 6)6))ए) तथा)बी)	यथोपरि
5)	पैरा 6)10)ए)	अनिर्णीत ।
6)	पैरा 6)10)बी	निर्णीत ।
7)	पैरा 7	अनिर्णीत ।
8)	पैरा 9	निर्णीत ।
9)	पैरा 11)ए)तथा)बी)	यथोपरि
10)	पैरा 14	यथोपरि ।

ख) अवधि 4/85 से 3/86 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन :-

1)	पैरा 4)सी से ई)	निर्णीत ।
2)	पैरा 4)एफ)1)	यथोपरि
3)	पैरा 8)ए)	यथोपरि
4)	पैरा 10)बी)	अनिर्णीत ।
5)	पैरा 10)डी)	निर्णीत ।
6)	पैरा 10)एफ तथा जी)	यथोपरि
7)	पैरा 11)बी)	यथोपरि
8)	पैरा 12)2)	यथोपरि
9)	पैरा 12)3,4 तथा 5)	यथोपरि

10)	पैरा 14(बी)	निर्णीत ।
11)	पैरा 15(बी)	यथोपरि
12)	पैरा 16	अनिर्णीत ।

ग) अवधि 4/86 से 3/87 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन :-

1)	पैरा संख्या 4(1,4,6,)	निर्णीत ।
2)	पैरा संख्या 4(7,8)	अनिर्णीत ।
3)	पैरा सं0 5(1)	निर्णीत
4)	पैरा सं0 5(2)	यथोपरि
5)	पैरा सं0 5(3,4,5)	यथोपरि
6)	पैरा सं0 5(6,7)	यथोपरि
7)	पैरा सं0 5(9)	यथोपरि
8)	पैरा सं0 5(10 तथा 11)	यथोपरि
9)	पैरा सं0 5(12(बी)	यथोपरि
10)	पैरा सं. 5(13)	यथोपरि
11)	पैरा सं0 6,7(1) तथा (2)	यथोपरि
12)	पैरा सं0 8(2)	यथोपरि
13)	पैरा सं0 9(डी(2(4)	यथोपरि
14)	पैरा 10	यथोपरि
15)	पैरा 12(1) तथा 2)	यथोपरि
16)	पैरा सं0 12(3)	यथोपरि
17)	पैरा 12(4)	यथोपरि
18)	पैरा 12(6)	यथोपरि
19)	पैरा 13(1)	यथोपरि
20)	पैरा 13(2)	यथोपरि
21)	पैरा 13(3) से (5) तक	यथोपरि
22)	पैरा 13(6)	यथोपरि
23)	पैरा 14	अनिर्णीत ।

अवधि 4/87 से 3/88 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

घ) पैरा 4(2)	निर्णीत
2) पैरा 4(3) तथा (4)	यथोपरि
3) पैरा 4(5)	यथोपरि
4) पैरा 4(7)	यथोपरि
5) पैरा 4(9)	यथोपरि
6) पैरा 10(ए,बी,सी)	यथोपरि
7) पैरा 4(12(सी)	यथोपरि
8) पैरा 4(13)	यथोपरि
9) पैरा 4(14) तथा 4(15)	अनिर्णीत ।
10) पैरा 5	अनिर्णीत ।
11) पैरा 6(2) से (5)	निर्णीत
12) पैरा 6(6)तथा (7)	यथोपरि
13) पैरा 7(2) से (6)	अनिर्णीत ।
14) पैरा 8(2) से (6)	निर्णीत ।
15) पैरा 6(7,8,9)	अनिर्णीत ।
16) पैरा 9(1) से 4	निर्णीत
17) पैरा 9(5)	यथोपरि
18) पैरा 9(6)	अनिर्णीत ।
19) पैरा 10(1(2(4(5)	निर्णीत
20) पैरा 10(3)	अनिर्णीत
21) पैरा 10(6)	निर्णीत ।
22) पैरा 11(1(बी(1)	अनिर्णीत
23) पैरा 11(4(ए)तथा बी	यथोपरि
24) पैरा 11(4(सी) तथा डी	निर्णीत ।

ड.) अवधि 4/88 से 3/89 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

1) पैरा 4(2) तथा 3)	अनिर्णीत ।
2) पैरा 4(4) सी	निर्णीत ।
3) पैरा 4(4(डी,एफ,	अनिर्णीत ।

4) पैरा 4(6)(बी) से 12(बी). — अनिर्णीत
5) पैरा 4(6)12(सी) — निर्णीत
6) पैरा 7(2) — यथोपरि
7) पैरा 7(3)(ए) — यथोपरि
8) पैरा 7(3)(ई) — यथोपरि
9) पैरा 7(6) — यथोपरि
10) पैरा 7(ग) — यथोपरि
11) पैरा 8 से 10 तक — अनिर्णीत
12) पैरा 12(1) से 7 तक — अनिर्णीत ।
13) पैरा 12(9) — अनिर्णीत ।
14) पैरा 13 — निर्णीत ।

च) अवधि 4/89 से 3/90 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन :-

1) पैरा 4(1) — निर्णीत
2) पैरा 4(3) — निर्णीत
3) पैरा 4(5)(सी) — अनिर्णीत
4) पैरा 4(5)(डी) — यथोपरि
5) पैरा 4(6)(बी) — यथोपरि
6) पैरा 4(8) से 15(ए) — यथोपरि
7) पैरा 4(16) से 21 तक — यथोपरि
8) पैरा सं० 5 — यथोपरि
9) पैरा सं० 6(1) से (4) — यथोपरि
10) पैरा सं० 6(7) — अनिर्णीत
11) पैरा सं० 7 — यथोपरि
12) पैरा सं० 8(1) से 2) — यथोपरि
13) पैरा सं० 8(4) से 12(तक) — यथोपरि ।

छ) अवधि 4/90 से 3/91 तक तथा 4/91 से 3/92 तक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन :-

उपरोक्त अवधि के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जो निर्माण मण्डल शिमला में उपलब्ध है के उपर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही इन दोनों लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त उत्तर अभी तक भेजा गया है । जिसे अब शीघ्र तैयार करके अविलम्ब प्रेषित किया जावे ।

भाग- दो

2. वर्तमान लेखा परीक्षण :-

वर्तमान लेखा परीक्षण अवधि 4/92 से 3/93 तक जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिये गये हैं, सर्वश्री, वी. के. नड्डा, ~~अनुभा~~ जे. एस. पटियाल, एस. एस. कायथ, अनुभाग अधिकारी तथा श्री कमल देव शर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा 23.11.94 से 19.2.1995 तक शिमला में किया गया । मास 6/92 व 3/93 के लेखों का चयन विस्तार से जांच करने हेतु किया गया तथा सम्बन्धित पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किये गये ।

3. लेखा परीक्षण शुल्क :-

लेखा परीक्षण शुल्क सरकारी कोष में जमा कराने हेतु हि0प्र0 आवास बोर्ड मुख्यालय को संयुक्त रूप से पृथक से सूचित किया जायेगा ।

4. केन्द्रीय बन्दीगृह, कण्डा का निर्माण कार्य (वार्ड बैरक का निर्माण कार्य ग्रुप-II)

वा0सं0 107 मास 6/92 के अन्तर्गत 101017 रुपये (शुद्ध) का भुगतान श्री अशोक कुमार शर्मा संविदाकार को 6th चलत बिल की अदायगी उपरोक्त निर्माण कार्य की की गई । यह निर्माण ~~xxxxx~~ कार्य 20.10.89 को आरम्भ किया गया था जो कि 6/92 तक जारी रहा । तथा इस अदायगी के बिल में निम्न लिखित अनियमिततायें पाई गई

कः 1126.53 रूपये का संविदाकार को अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका सं0 776 पृष्ठ 72 के अनुसार मद प्रोवाईडिंग एवं लेईंग आफ माईल्ड टोर स्टील की मात्रा गणना के अनुसार 738.79 किलोग्राम बनती है जबकि माप पुस्तक में यह मात्रा 893.96 किलोग्राम दिखा करके 125.17 किलोग्राम टोर स्टील की अधिक मात्रा दिखाई है जिससे सम्बन्धित संविदाकार को 9 रूपये प्रति किलोग्राम के दर से 1126.53 रूपये का अधिक भुगतान हुआ है । जिसकी अब शीघ्र वसूली करके अनुवर्ती आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाये ।

खः सुरक्षित अग्रिम :-

संविदाकार को माह 3/91 में 14 मैट्रिक टन सरियाँ लाने के लिये 1,57,500/- रूपये का सुरक्षित अग्रिम 11.25 रूपये प्रति किलो की दर से अदा किया गया । तथा उक्त कार्य के पाँचवें चलत बिल में से केवल 3400 किलोग्राम स्टील का मूल्य 38250 रूपये की वसूली का समायोजन करके काटी गई तथा छठे चलत बिल से 4000 किलोग्राम स्टील जिसका मूल्य 45000/- बनता है की कटौती की गई । जबकि माप पुस्तिका सं0 716 पृ0 7 मद [illegible] संख्या 11/17 के अनुसार तब तक 9283 किलोग्राम स्टील को उपयोग में लाया जा चुका था । जबकि 6वें चलत बिल में केवल 5,883 किलोग्राम स्टील जिसका मूल्य 66,183.75 रूपये बनता है की कटौती की जानी अपेक्षित थी जबकि कटौती केवल 4000 किलोग्राम स्टील जिसका मूल्य 45000/- रूपये बनता था ही काटा गया । इस प्रकार स्टील की मात्रा 1883/- किलोग्राम जिसका मूल्य मु0 21,183.75 रूपये बनता था की कम कटौती/समायोजन किया गया जिसके फलस्वरूप मु0 21,183.75 रूपये का अनुचित लाभ ठेकेदार को 6वें चलत बिल में से न करके दिया गया । अतः इस सम्बन्ध में उचित जांच करके की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करायें ।

उपरोक्त के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में जो राशी आवास बोर्ड द्वारा संविदकारों से लेने की बनती है उसकी वसूली शीघ्र ही की जाया करें ताकि किसी भी रूप में संविदाकार को अनुचित लाभ नहीं पहुँच सके ।

5. केन्द्रीय बन्दीगृह कण्डा ~~की निर्माण~~ का निर्माण कार्य

4 बैरकों का निर्माण कार्य ग्रुप-I

वा0सं0 91 मास 6/92 द्वारा मु0 39,645 रुपये शुद्ध राशि का भुगतान :-

श्री अशोक कुमार शर्मा संविदकार को 4 बैरकों (ग्रुप-I) ~~को~~ के निर्माण कार्य करने हेतु 6वें चलत बिल का भुगतान मु0 39645.00 रुपये का किया गया तथा यह निर्माण कार्य अनुबन्ध सं0 6 वर्ष 1989-90 द्वारा आंबटित किया गया । रिकार्ड के अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 18.6.89 से शुरू किया गया जो कि माह 6/92 तक भी जारी था । इस बिलकी अदायगी में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई जिनका शीघ्र ~~निस्तारण~~ निवारण करें ~~[illegible]~~ अनुवर्ति आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये ।

क) ईन्टो के लिये अदा किये गये सुरक्षित अग्रिम के सम्बन्ध में :-

सम्बन्धित संविदार को माह 2/92 में 45,000 ईंटों को लाने के लिये 3,375/- रुपये प्रति 3000 ईटों के दर से मु0 50,625/-रुपये का सुरक्षित अग्रिम राशि की अदायगी की गई तथा 6वें ~~चलत~~ बिल तक समस्त ईंटों का उपयोग कर लिया गया था जैसा कि माप पुस्तिका सं0 716 पृष्ठ 63 पर दर्ज है (आईटम न0 10/14 ईंटों के कार्य की मात्रा 337.54 घन मीटर तथा आईटम सं0 11/15 ईटका लिंग वर्क की मात्रा 66.39 वर्ग मीटर) इस प्रकार दिया गया सुरक्षित अग्रिम राशि मु0 50,625.00 रुपये का समायोजन

-47-

6वें चलत बिल में से किया जाना अपेक्षित था। जबकि बोर्ड द्वारा केवल 36,000 ईंटों का मूल्य 40,500 रुपये का ही समायोजन/कटौती की। इस प्रकार 9000ईंटों का मूल्य 10,125.00 रुपये का कम समायोजन/कटौती की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि अस्थाई तौर पर ठेकेदार को मु0 10,125.00 रुपये का अवैध रूप में लाभ पहुँचाया गया। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा भविष्य में ऐसी अनियमिततायें न दोहराई जावे।

ख) <u>स्टील के सुरक्षित अग्रिम बारे :-</u>

माह 2/92 में संविदाकार को 6000 किलोग्राम स्टील लाने हेतु 11,250.00 रुपये प्रति एम.टी. की दर से मु. 67,500.00 रुपये का भुगतान किया गया तथा जैसे-2 स्टील की मात्रा का उपयोग किया जाता रहा उसी तरह उतनी ही मात्रा के मूल्य का समायोजन रनिंग बिल में से किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु व्यय पुस्तिकासं0 716/87 पृ. 64-65 को जांचने पर पाया गया कि 6वें चलत बिल तक ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में 9,817.42 किलोग्राम का स्टील का उपयोग किया गया तदानुसार पूर्व में दिये गये सुरक्षित अग्रिम मु, 67,500.00 का समायोजन किया जाना चाहिये था। जबकि समायोजन केवल 4000 किलोग्राम जिसका मूल्य 45,000 रुपये बनता है का किया गया। इस प्रकार संविदाकार के बिल से 2000 किलोग्राम जिसका मूल्य 22,500 रुपये बनता है का कम समायोजन किया गया। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्ण विवरण सहित स्पष्ट हो तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता न दोहराई जावे।

6. <u>रेडक्रास भवन छोटा शिमला का निर्माण कार्य (सब हेड-बकाया कार्य का निर्माण :-</u>

<u>वा0सं0 101 माह 3/93 द्वारा मु0 11,287.00 रुपये कुल मूल्य राशि मु0 76,511.17 रुपये का भुगतान :-</u>

श्री शंकरदास संविदाकार को उनके तीसरे चलत बिल रैडक्रास भवन छोटा शिमला का बकाया कार्य करने हेतु अदायगी की गई । उक्त कार्य पत्र सं0 एच.सी.ई. ए-2 (332)/92-7307-13 दिनांक 7.8.92 द्वारा आबंटित किया गया तथा कार्य पूर्ण करने हेतु 2 माह का समय निर्धारित किया गया था ।

उपरोक्त कार्य आंबटन एवं भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई जिनकी अब शीघ्र अनुपालना करके रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें ।

क) कार्य अधिक दर पर आबंटन करने के सम्बन्ध में :-

इस कार्य हेतु प्राक्कलन रु0 37,042.00 रुपये का तैयार किया गया था । आईटम रेट टैण्डर श्री शंकरदास संविदाकार के 295.39 प्रतिशत उपर मानक दर सूची 1987 पर थे । जिसकी दरें सबसे कम थी । तथा क्रय में समझौते की बातचीत पर दर 145.22 % संविदाकार द्वारा मानी गई तदानुसार कार्य श्री शंकरदास संविदाकार को आबंटित किया । लेकिन आईटम रेट टैण्डरों की प्राप्ति के बाद तैयार की गई जस्टी फिकेशन को जांच करने पर पाया गया कि जस्टीफाईड (तर्क संगत) दर 132.58 % (उपर हि0प्र0 मानक दर सूची-1987) बनता था । इस प्रकार आवास बोर्ड द्वारा कार्य संविदाकार को 12.64% जस्टीफाईड-रेट (तर्क संगत दर) से अधिक दर पर आबंटित किया गया जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता है कार्य आंबटन औचित्य दर पर ही आंबटित किया जाना अपेक्षित था । अतः इस समस्त प्रकरण विभाग के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराया जाये ।

ख) अतिरिक्त मदों का अधिक भुगतान :-

जैसा कि उपर (क) में वर्णित है कि ड्राईंग ब्रांच द्वारा तैयार की गई जस्टी फिकेशन के अनुसार जस्टीफाईड दर 132.58%/ बनती थी जबकि कार्य 145.22 % पर आंबटित किया गया । कार्य के दौरान करवाई गई अतिरिक्त मदों की दरें भी तदानुसार बनाकर निर्धारित की गई थी जिसके फलस्वरूप एक्स्ट्रा आईटमों का अधिक भुगतान किया गया जान पड़ता है विवरण निम्न प्रकार से है ।

एस.बी.. की आईटम सं0	किये गये कार्य का ब्योरा एवं मात्रा	दर जो 145.22% के आधार पर निर्धारित की गई	दर जो 132.58% के आधार पर निर्धारित 132.56% की जानी थी	अधिक दर	अधिक भुगतान
837 पृ. 58 आईटम न. 8	पी.एल.सीमेंट कंक्रीट 1:6:12 3.43 घन मीटर [मानक दर सूची-1987 के आईटम 9.16 अनुसार दर 291.35 रु. प्रति घनमीटर]	714.45 प्रति घन मीटर	677.60 प्रतिघन मीटर	36.85 प्रति घनमीटर	126.39
837 पृ. 59 आईटम न0 6	पी.एल.सीमेंट कंक्रीट 1:3:6- 12.25 घनमीटर । [मानक दर सूची 1987 के मद सं0 9.21 अनुसार दर 445.45 रु. प्रतिघन मीटर]	1092.35 प्रति घन मीटर	1036.00 प्रति घनमीटर	56.35 प्रतिघन मीटर	690.29
यथोपरि आईटम न. 6	पी.एल ग्लास स्ट्रीप 40 एम. एम. मोटा 281.45 मीटर । मानक दर सूची-1987 के मद सं. 13.8(ii) अनुसार दर 3.00 रुपये प्रति मीटर	7.35 प्रतिमीटर	7.00 प्रति मीटर	0.35 प्रति मीटर	98.40
			अधिक भुगतान :-		915.07

ग) कार्य देरी से किये जाने के सम्बन्ध में :-

इस कार्य को पूर्ण करने के लिये 2 माह का समय निर्धारित किया गया था तथा संविदाकार द्वारा कार्य 22.8.92 को आरम्भ किया गया व कार्य 22.2.93 तक भी जारी रहा जैसा कि एम.बी. 836 पृ. 47 पर दर्ज है। जबकि निर्धारित समय के अनुसार यह कार्य 21.10.92 तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिये था।

अतः स्पष्ट हो कि यह कार्य निर्धारित अवधि के भीतर क्यों पूर्ण नहीं हो सका तथा क्या समय बढ़ौतरी हेतु सम्बन्धित संविदाकार द्वारा कोई पत्र विभाग को भेजा था और विभाग द्वारा समय में बढ़ौतरी की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगर स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी तो स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी तो स्वीकृति पत्र आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये।

7. वा०सं० 74 माह 3/93 द्वारा मु० 88,205.00 रुपये शुद्ध (मूल राशि मु० 97,722.00 रुपये) का भुगतान एम. बी. 837 पृ. 53-54

मै० सूद एण्ड सन्ज बिल्डिंग इस्टेट शिमला-3 को उसके प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान रैडक्रास भवन में फाल्स सीलिंग (सिपसों बोर्ड) लगाने हेतु किया गया था।

उपरोक्त कार्य पत्र सं० एच.बी.एगी-555-6। दिनांक 23.1.93 द्वारा 450.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर (निगोशियेटिड दर) की दर से आवंटित किया गया था जबकि ड्रॉईंग ब्रॉंच द्वारा अनालिसिस के आधार पर दर प्रति वर्ग मीटर 426.60 रुपये बनाई थी। इस प्रकार कार्य 23.40 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अधिक दर पर आवंटित किया गया।

अतः यह स्पष्ट हो कि अनालिसिस आफ रेट जब 426.60 रु० प्रति वर्गमीटर था तो संविदाकार से यह कार्य 450.00 रुपये प्रति वर्गमीटर के दर से किस आधार पर करवाया गया था।

-51-

8. वा0सं0 81 माह 6/92 द्वारा पु0 4,328.00 रु. का भुगतान :-

श्री धर्मेन्द्र सिंह संविदाकार को उसके प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान 2 इंच एच.सी.आई पाईप बदलने [8 नं0 टाईप-2 क्वाटर -टीपी] हेतु किया गया था । कार्य वर्क आर्डर 27 वर्ष 91-92 द्वारा आवंटित किया गया था ।

उपरोक्त कार्य में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं ।

क] माप पुस्तिका सं0 791/90 पृष्ठ 62 के अनुसार 50.36 मीटर एच.सी.आई. पाईप साईज 2 इन्च डाया को डिस्मेन्टल किया गया जबकि एम.ए.एस. रजिस्टर पर 42 मीटर पुरानी पाईप ही दर्ज की गई थी । इस प्रकार 8.36 मीटर पाईप लेखों में कम दर्शाई गई । अतः कम पाईप लेखों में दर्ज किया जाने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें अथवा 8.36 मीटर पाईप का मूल्य की वसूली सम्बन्धित संविदाकार/दोषी कर्मचारी से की जावे ।

ख] 50.36 मीटर पाईप के डिस्मेंटल करने के फलस्वरूप 28.42 किलो ग्राम सीसा [29 जोड × 0.98 किलो = 28.42 किलोग्राम] प्राप्त होना चाहिये था [50.36 मीटर + 1 = 29 जोड़]
1.80 मीटर

जबकि 15 किलो लैड एम.ए.एस. में लिया गया । इस तरह 13.42 किलोग्राम सिक्का [लैड] स्टाक में कम लिया गया है । स्टाक में कम लैड लिया जाने वारे कारण बताया जाये अथवा 13.42 किलोग्राम लैड के मूल्य की वसूली सम्बन्धित संविदाकार/दोषी कर्मचारी से करके अनुपालन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये ।

[illegible]

लगातार पृ. 13..

--.-

9. एस. एफ. एस. स्ट्राबेरी का निर्माण कार्य (सब-हेड-4 न0 वर्ग-2 फ्लैटों का निर्माण :-

वा0 सं0 86 माह 3/93 द्वारा मु0 82,554.00 रूपये कुल (ग्रास राशि मु0 5,16,589.97 रूपये (का

मै0 विकास इन्टर प्राईज शिमला को 4 न0 वर्ग-II फ्लैटों का निर्माण कार्य करने के लिये चौथे रंनिग बिल का भुगतान किया गया । निर्माण कार्य पत्र सं0 एच. एस. ई/ए-2-322/91-5781-87 दिनांक 28.12.91 द्वारा 62.50% उपर हि0प्र0 मानक दर सूची 1987 पर (सिविल कार्य) तथा 235.69 % उपर डब्लू. एस. एस. आई का कार्य आंबटित किया गया ।

उपरोक्त कार्य एवं अदायगी में निम्न अनियमिततायें पाई गईं ।

क) कार्य आवंटन बारे :-

उपरोक्त निमार्ण कार्य हेतु ड्राईंग ब्रांच द्वारा जस्टीफिकेशन 62.50 % (ओवर आल) मानक दर सूची-1987 के अनुसार तैयार की थी तथा उसी आधार पर कार्य संविदाकार को आंबटित किया गया जबकि तैयार की गई जस्टीफिकेशन की जांच करने पर पाया गया कि ओवर आल जस्टीफिकेशन केवल 59.08% ही बनती है । इस प्रकार कार्य गलत गणना करने के कारण 3.42 % अधिक दर पर आवंटित किया गया । अत: मामले को विभागीय स्तर पर जांच करके वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

ख) एक्स्ट्रा आईटम -आर. आर मैसनरी एम.बी. 844 पृ0 49.65 आईटम न. 20 बारे :-

अतिरिक्त मद के रूप में आर. आर. मैसनरी का कार्य 42.40 घनमीटर करवाया गया तथा उसकी दर 555.20 रूपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया । (एच.पी. एस. आर-1987 आईटम 11.5 दर 341.65 रूपये प्रति घनमीटर जमा 62.50 प्रतिशत (ओवरआल) 555.20 रूपये) जबकि उपरोक्त मद सं0 (क) के अनुसार देय दर 543.50 रूपये प्रति घन मीटर बनती थी (एच. पी. एस. आर-1987 आईटम 11.5 दर

341.65 रू0 प्रति घनमीटर जमा 59.08 ✗ = 543.50 रूपये प्रति घनमीटर ॥

इस प्रकार 11.70 रूपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 ,496.10 रू0 का अधिक भुगतान किया गया ॥42.40 घनमीटर दर 11.70 रूपये प्रति घनमीटर = 496.10 रूपये॥ अतः इस अधिक दी गई राशि की वसूली करके अनुवर्ती आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

ग॥ <u>कार्य पूर्ण करने की अवधि बारे :-</u>

कार्य आवंटन पत्र के अनुसार कार्य हेतु 1 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था तदानुसार यह कार्य 11.1.92 से 11.1.93 की अवधि में पूर्ण किया जाना चाहिये था ।

सम्बन्धित एग्रीमेंट की फाईल को जांचने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा दिनांक 13.5.92 व 28.8.92 द्वारा यह कहा गया कि बीम तथा सैल्व की स्ट्रकचरल डिजाईन उसे आवास बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है जबकि अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि इससे सम्बन्धित अभिलेख ~~और~~ संविदाकार को दिनांक 26.8.92 को जारी किये गये जैसा कि सहायक अभियन्ता सब डिवीजन-1 शिमला के पत्र सं0 एच.बी/ए.ई-1/स्ट्रोबेरी वर्क /92-वाल्यूम -8-1151 दिनांक 30.9.92 जो अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित किया गया था से स्पष्ट है।

उपरोक्त तथ्यों से यही जान पड़ता है कि आवास बोर्ड द्वारा स्वयं ही स्ट्रकचरल डिजाईन संविदाकार को देरी से जारी करने के कारण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में व्यवधान पड़ा तथा कार्य 2 1/4 ~~2/1/4~~ वर्ष॥ 15.4.94॥ में ही पूर्ण हुआ बताया गया । फिर भी ए.ई. के पत्र सं0 एच.बी/ए.ई-1/स्ट्राबेरी कार्य /92-वाल्यूम -8-1554 दिनांक 23.8.94 के अनुसार कार्य त्रुटिपूर्ण था । जिसको अभी तक ठीक किया जाना है । लेकिन नस्ति में यह नहीं बताया गया है कि क्या संविदाकार द्वारा त्रुटियाँ दूर कर दी गई थी या नहीं अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि क्या संविदाकार द्वारा त्रुटियाँ ठीक कर ली गई तथा बोर्ड द्वारा क्या समयावधि में कितनी कटौती स्वीकृत की गई बताया जाये ।

घ) उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु एम. ए. एस. से निर्माण सामग्री जारी की गई थी ~~लेकिन कितनी सामग्री जारी की गई~~ थी लेकिन कितनी सामग्री जारी की गई तथा उसके उपयोग के विवरण को जांचा नहीं सका क्योंकि सम्बन्धित एम. ए. एस. को लेखा परीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था । अतः सम्बन्धित एम. ए. एस को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

क्र. सं.	सामग्री जो जारी की गई थी	जिसका ब्योरा एम. बी. पर दर्ज है ।
1)	पी. जी. आई/सी. जी. आई शीट्स ।	एम. बी. 828 पृ. 56
2)	स्टील आईटम न० 10/10	यथोपरि-पृ. 52
3)	पत्थर	यथोपरि

10. विभिन्न आपत्तियाँ :-

1) समायोजन लेखे :-

निम्नलिखित मामलों में वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन में सी. पी. एफ. काटा गया लेकिन कटौती से अधिक राशि का समायोजन किया गया तदनुसार उतनी ही राशि सम्बन्धित निर्माण कार्य को डेबिट की गई । अतः मामले में मूल सुधार अपेक्षित है । अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

क्र. सं.	समायोजन वा०सं० जिसके अनुसार समायोजन किया गया ।	कर्मचारी का नाम	वास्तविक कटौती की गई तथा जिसका समायोजन किया जाना था ।	राशि जिसका समायोजन किया गया	राशि जिसका अधिक समायोजन किया गया	निर्माण कार्य जिसको अधिक डेबिट किया गया ।
1.	10 माह 6/92	श्री लेखराज चौहान वर्क सुपरवाईजर	114.00	161.00	47.00	बिना कार्य हाल ही शिमला का निर्माण कार्य
2.	9 माह 6/92	श्री [illegible] चन्द वर्क चार्ज बेलदार	39.00	61.00	22.00	-यथोपरि-

2) **लेजरों के रख रखाव के सम्बन्ध में :-**

निम्नलिखित मामलों में वर्ष 1991-92 के अन्त शेषों को आगामी वर्ष 1992-93 के लेजर में आदि शेष के रूप में नहीं दर्शाया गया अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जावे ।

वर्ष 1991-92 का लेजर क्र पृ०सं० जिसमें अन्त शेष क्रेडीट था ।	राशि	क्रेडीट राशि का ब्योरा
246	175.00 रूपये	पानी के मीटर की धरोहर राशि श्रीमति रशीम अख्तर
383	2224.50	श्री राज ड्राईवर का क्रेडीट फ़िगर/अंक ।
508 से 521 तक	18225.00	विभिन्न अलॉटीज की पानी के मीटर की धरोहर राशि ।
यथोपरि	288.65	श्री आदर्श कुमार जैन संविदाकार का क्रेडिट शेष ।
यथोपरि	2851.00	श्री अजय कुमार सूद संविदाकार का क्रेडीट शेष ।
यथोपरि	1000.00	मै० मार्डन सेनिटरी इंजनियरिंग वर्क का क्रेडीट शेष ।

3) निम्न दर्शाये गये आवासीय बोर्ड के मण्डलों का वर्ष 1991-92 का अन्त शेष वर्ष 1992-93 के लेजर में दर्ज नहीं किया गया है । अतः इस सम्बन्ध में अब उचित कार्यवाही की जावे ।

मण्डल का नाम		वर्ष 1991-92 में क्रेडीट अन्त शेष
1. इलेक्ट्रीकल मण्डल शिमला		6,19,896.00 रूपये
2. आवासीय मण्डल, धर्मशाला		1,28,403.58 "
3. यथोपरि	परवाणू	32,29,838.17 "
4. यथोपरि-	मण्डी	6,07,700.68 "

4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बारे अधिक भुगतान :-

श्री जे.आर. पाल वरिष्ठ सहायक को मु0 132.00 रुपये का भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया है जबकि देय राशि मु0 22.00 रुपये ही बनती है और एक्सीडेन्टल तेल मूल्य 39.60 रु0 तथा रिओसिड मूल्य 70.40 रुपये भुगतान योग्य नहीं थी। इस प्रकार मु0 110.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

वा0सं0 135 दिनांक 31.3.93 राशि मु0 90348/-

कार्य का नाम :- स्वतः वित्तीय योजना के अधीन 12 नम्बर श्रेणी-1 फ्लैट्स का सोलन में निर्माण (ब्लाक न0 18 और 19)

स्वतः वित्तीय योजना के अधीन सोलन में 12 न0 श्रेणी -1 फ्लैट्स का निर्माण (ब्लाक न0 18 और 19) का ठेका मै0 गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्स को मु0 20,45,387/44 को आवार्ड पत्र सं0 एच.बी.ई/ए-2(327)/92-2043-48 दिनांक 5.6.02 तथा एग्रीमेंट सं0 3 ऑफ 1992-93 को दिया गया।

आठवें चलत बिल की जांच करने पर पाया गया उस बिल में मु0 9,98,607.79 की अदायगी की गई है जबकि देय राशि 9,96,217.79 बनती है। इस बिल के रिकार्ड एण्ट्रीज की गणना जो कि माप पुस्तिका सं0 849 पृ0 29 पर सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 की गई है निम्न विवरणानुसार गलत है :-

देय = 2×1×0.75×.45×.75 = .05 एम.^{3}

(1) दिया गया = 0.37 m3

अधिक अदायगी = 0.32 m3 ×1900/- = रुपये 608.0

9/9 की मद संख्या :

57-

(2) इसी प्रकार आईटम न0 12/12 की रिकार्ड इन्द्राज की गणना जो कि माप पुस्तिका सं0 849 पृ0 31 पर की गई है गलत है :=

देय = 8×1×1.20×0.23×1.20 = 2.65

कम कटौती जो की गई = 2.65−1.00 (1.00 m3) = 1.65 m3

कुल देय जो कम करना था = 11.96

शेष कुल देय = 52.95 Cum − 11.96 Cum = 40.99

राशि जो कम अदा होनी थी = 1.65 Cum, @ 1080/- = 1782.0

(1) तथा (2) की कुल राशि = 608 + 1782 = 2390/-

मु0 2390/- की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जा करके

अनुपालना आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

12 — कार्य आदेशों पर निर्माण कार्य निर्धारित अवधि पर समाप्त न करना एवं भारी अन्तर कार्य राशि में ।

निम्नलिखित कार्यों को कार्य-आदेशों के द्वारा करवाया गया इन निर्माण कार्य की जांच करने पर पाया गया कि कार्य आदेशों से निर्धारित अवधि से अधिक समय लगाया गया और समय पर कार्य समापन न कर पाने पर भी सम्बन्धित संविदाकार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

र्य आदेश सं.	राशि	कार्य किया गया	%	कार्यारम्भ की तिथि	कार्य समापन की तिथि	माप पुस्तिका संख्या	कार्य समापन करने की अवधि
65 आफ 1991-92	14000/-	11844/89	15%	1?.3.92	22.5.92	824 / पृ. 30	10 दिन
56 आफ 1991-92	17300/-	10278/77	41%	5.3.92	1.5.92	822 / पृ. 13	15 दिन
0 आफ 1991-92	15000/-	13502/36	10%	11.2.92	18.4.92	822 / पृ. 10	15 दिन
आफ 1992-93	10130/-	10140/29	-	17.11.92	26.6.93	793 / पृ. 37	10 दिन
2 आफ 1991-92	11000/-	10514.50	-	1.12.91	15.2.93	847 / पृ. 7	15 दिन

-.-

इसके अलावा इन कार्य आदेशों की पड़ताल करने पर पता लगता है कि कार्य आदेश जितनी राशि का दिया गया था और जितनी राशि का असली कार्य हुआ है में काफी अन्तर है तथा कुछ मामलों में तो यह 40% से भी उपर है ।

इन निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि पर कार्य आदेशों में न कर पाने का औचित्य बताया जावे तथा कार्य आदेशों में निर्माण कार्य की राशि में 40% तक का अन्तर के औचित्य को स्पष्ट किया जाये ।

13 — वा०सं० 9 दिनांक 3.6.92 राशि 8298 रुपये

निर्माण कार्य का नाम सोलन में एस.एच.एस फेज- 2 का निर्माण (बाहरी सिवरेज सिस्टम)

सोलन में सोसल हाउसिंग स्कीम के तहत खण्ड-2 में बाहय सिवरेज सिस्टम का कार्य मैं० गिरधारी लाल एण्ड ब्रदर्ज को अवार्ड पत्र सं० एस.डी./एच.बी./डब ल्यु-40/87-2122-27 दिनांक 8.10.87 द्वारा मु० 3,15,059/- रुपये का अनुबन्ध सं० 3 आफ 1987-88 को दिया गया ।

पाँचवें चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य 10/87 को आरम्भ हुआ और अभी तक जारी है । कार्य निर्धारित अवधि में जो कि 6 मास था में समाप्त नहीं हुआ और न ही ठेकेदार ने समय अवधि बढाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र ही किया है, जबकि निर्माणी कार्य अभी तक जारी है । ठेकेदार के विरूद्ध अनुबन्ध खण्ड 2 और 3 के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

इसके अतिरिक्त पाँचवें चलत बिल तक 31852.05 रुपये की अतिरिक्त/स्थापन मद का निर्माण किया गया है ।

निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि में समाप्त न कर पाने का औचित्य पूर्ण विवरण सहित दिया जाये तथा ठेकेदार के विरूद्ध अनुबन्ध खण्ड 2 व 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये तथा अतिरिक्त/स्थानापन मदों के दर विश्लेषण सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवा कर लेखा परीक्षा को दिखाया जाये ।

14 — वा०सं० 11 ऑफ 3/93 राशि 97058/-

स्वत: वित्तीय योजना के अधीन सोलन में 30 नम्बर श्रेणी-I

फ्लेटस में रिटेनिंग दिवार कोटियों तथा रेलिंग के निर्माण का ठेका श्री मोहन सिंह चौहान को अवार्ड पत्र सं0 एच.बी.ई/ए-2 340/92-247-51 दिनांक 13.1.93 के अन्तर्गत 7,91,735.37 का अनुबन्ध संख्या 16 आफ 1992-93 के अन्तर्गत किया गया ।

प्रथम चलत बिल जो कि मु0 80754/70 का था की पड़ताल की गई । इस बिल में कुछ रिकार्ड इन्द्राज की गणना गलत की गई है जिसके कारण ठेकेदार को मु0 58/- रुपये की अधिक अदायगी हो गई है । अत: सम्बन्धित संविदाकार से इसकी वसूली की जावे तथा अनुवर्तन आगामी लेखा में दिखाया जावे । अधिक अदायगी का विवरण निम्न प्रकार से है ।

माप पुस्तिका सं0	मात्रा जो दी गई	मात्रा जो देनी थी	अन्तर	दर	राशि	आईटम न0
794/पृ.-24	119.08 cum	119.02	0.06	45/-	2.70	1/1
794 पृ.-25	15-61 cum.	14.61	1.00	52/-	52.00	2/2
794/पृ. 33	33.67 cum.	33.66	0.01	350/-	3.50	4/6
					58.20	

15. पानी प्रभार :- सोलन उपमण्डल

क) मु0 29,263/- रुपये की राशि का दोषी आबंटियों द्वारा भुगतान न करना :-

सोलन उपमण्डल के खाता वही के अवलोकन से पाया गया कि निम्नलिखित आबंटियों द्वारा उनके सामने वर्णित पानी के बिलों की अदायगी 31.3.93 तक नहीं दी गई और न ही सम्बन्धित उपमण्डल द्वारा कोई समुचित कदम ही उठाये गये अत: इन आबंटियों से इस बकाया राशियों की वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाये ।

- 60 -

क्र.सं.	आबंटी का नाम	मकान न0	खाता न0	राशि
1.	श्री बलबीर कुमार जुल्का	एल.आई.जी-5	डी-5	1442.00
2.	श्री के.के. गुप्ता	एम.आई.जी-13	डी-130	230.00
3.	श्री राम सिंह ठाकुर	यथोपरि -21	डी-135	475.00
4.	श्रीमति सुनिता शर्मा	यथोपरि 23	डी-63	491.00
5.	श्री आर.एल.शर्मा	यथोपरि 25	डी-72	1122.00
6.	श्री शिव दयाल	यथोपरि 26	डी-66	856.00
7.	श्री नन्द कुमार साहनी	यथोपरि 27	डी-54	1044.00
8.	श्री वी.के.सहगल	यथोपरि 28	डी-53	484.00
9.	श्री सत्यपाल विज	यथोपरि 31	डी-55	198.00
10.	श्री वी.एन. मल्होत्रा	यथोपरि 32	डी-61	499.00
11.	श्री टी. मेहता	यथोपरि 33	डी-60	411.00
12.	श्री एस.के.सहगल	यथोपरि 34	डी-139	760.00
13	श्री मुन्द कौर	एल.आई.जी 40	डी-28	316.00
14.	श्री जगदीश राज	यथोपरि 42	डी-26	972.00
15.	श्रीमति विमला वर्मा	यथोपरि 47	डी-109	778.00
16.	श्री के.एम. सिंह	एम.आई.जी 54	डी-51	59.00
17.	श्री सुरेन्द्र कुमार	यथोपरि 56	डी-73	1044.00
18.	श्री हरमिन्दर सिंह	यथोपरि 71	डी-71	972.00
19.	श्री ईश्वर टी.कमीशन	यथोपरि 58	डी-77	1122.00
20.	श्रीमती लीला देवी	एल.आई.जी 65	डी-4	12.00
21.	श्री पी.एस. नाजरा	एम.आई.जी 68	डी-78	501.00
22.	श्री एस.एन.दुआ	यथोपरि 73	डी-68	972.00
23.	श्री आर.एम.सेवाल	यथोपरि 74	डी-57	810.00
24.	श्री हरि अशोक करकरा.	यथोपरि 75	डी-69	93.00

25.	श्री विजय कुमार	एम. आई. जी -78	डी-108	806.00
26.	श्री वासुदेव सिंह	यथोपरि -84	डी- 74	1037.00
27.	श्री सुधीर अवरोल	यथोपरि 88	डी-	495.00
28.	श्री जगदीश चन्द्र	ई. डब्ल्यू. एस- 92	—	143.00
29.	श्रीमती पूर्णा देवी	यथोपरि 94	—	39.00
30.	श्री जे. आर. शर्मा	एल. आई. जी-100	डी-13	972.00
31.	श्री शमशेर	यथोपरि 101	डी-10	572.00
32.	श्री पी. एन. मित्तल	यथोपरि 102	डी-45	679.00
33.	श्री सुरेन्द्र पाल	यथोपरि 104	डी-34	284.00
34.	श्री एस. पी. साहनी	यथोपरि 105	डी-9	140.00
35.	श्रीमती निर्मल करकरा	यथोपरि 106	डी-35 (-)	69.00
36.	श्री एच. पी. सिंह	यथोपरि 121	डी-15	1357.00
37.	श्री हरनाम सिंह	यथोपरि 122	डी-16	261.00
38.	श्री हरिन्द्र सिंह	यथोपरि 123	डी-20	31.00
39.	श्रीमती सावित्री देवी	यथोपरि 131	डी-36	50.00
40.	श्री एस. के. खन्ना	यथोपरि 132	डी-27	106.00
41.	श्री सुभाष गुप्ता	यथोपरि 134	डी-2812	972.00
42.	श्री के. एस. भारद्वाज	यथोपरि 135	डी -23	294.00
43.	श्रीमती निर्मल जैन	यथोपरि 140	डी- 41	1354.00
44.	श्री संतात पुरी	यथोपरि 142	डी-47	613.00
45.	श्री गुरदाजन सिंह	ए-1 1	डी-98	2294.00
46.	श्री एस. के. नवाल	ए- 3	डी-96	391.00
47.	श्री सीताराम	प्राइवेट	डी-144	154.00
48.	श्री पी. एल. गुप्ता	प्राइवेट	डी-145	111.00
49.	श्री अश्वनी कुमार	प्राइवेट	डी-146	51.00
50	श्री एन. एल. शर्मा	यथोपरि	डी-147	282.00
51.	श्री कैलाशराम	एम. आई. जी-81	डी-67	128.00
52.	श्री पीटर जानसन	एल. आई. जी-143	डी-3	53.00
				29263.00

खः उपमण्डल सोला में पानी के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि आबंटियों को जारी किये गये बिलों की शर्त संख्या : 5 के अनुसार बिल की अदायगी निर्धारित समय पर न करने के कारण बिना सूचना दिये आंबटी की जल आपूर्ति बन्द की जानी थी । जबकि कार्यालय द्वारा इस शर्त के अनुसार कार्यवाही न करने के कारण मीटर से री-कुनेक्शन शुल्क की वसूली नहीं हो सकी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	खाता सं० व नाम	राशि	राशि जमा करने की तिथि	वसूली की तिथि	अवधि जिसके लिये बिल जारी किया गया ।
1.	श्री सी.एल. गोयिल डी-30	59.00	21.12.92	27.1.93	9/92 से 10/92
2.	श्री बलदेव सिंह डी-1	90.00	30.6.92	11.8.92	1/92 से 6/92
3.	श्री आर.एल. खुराना डी-114	36.00	21.10.92	17.12.92	9/92 से 10/92
4.	श्री आर.एल. शर्मा डी-72	1222.00	18.6.93	-	-
5.	श्री शिवदयाल सहगल डी-66	69.00	14.5.92	24.7.92	3/92 से 4/[illegible]
6.	श्री शिवदयाल सहगल डी-66	33.00	12.10.92	21.12.92	7/92 से 8/9[illegible]
7.	यथोपरि	59.00	29.1.93	15.3.93	11/92 से 12/92
8.	श्री नानक कुमार साहनी डी-54	679/-	9.6.93	-	9/92 से 2.[illegible]
9.	श्री एस.के. सहगल डी-139	135/-	21.12.92	23.3.93	9/92 से 1[illegible]
10	श्री जगदीश राय तंवर डी-26	124	29.1.93	15.3.93	11/92 से

11.	श्री के. आर. शर्मा डी-13	234/-	14.5.92	16.7.92	3/92 से 4/92
12.	श्री अशोक कुमार महेन्द्र डी-23	405/-	28.6.93	16.8.93	7/92 से 3/93
13.	श्री डी. आर. शर्मा डी-18	178/-	14.5.92	27.7.92	3/92 से 4/92

इस प्रकार के सभी मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा करके नियमानुसार वांछित कार्यवाही की जाये ।

16. लघु आपत्ति विवरणिका :-

लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है परन्तु लघु आपत्तियों का लेखा परीक्षा के दौरान ही निवारण कर दिया गया है

17. निष्कर्ष:-

मण्डल लेखों में पर्याप्त सुधार तथा आन्तरिक नियन्त्रण की अधिक आवश्यकता है ।

हस्ता/-
उप नियन्त्रक (लेप0)
हि0प्र0 आवास बोर्ड
निगम विहार (शिमला-2)

- 64 -
11 JUL 1995

पृष्ठांकन संख्या : फिन (एल.ए.) (एच) (2) 15 (14-123/88, खण्ड-4,
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड, निर्माण मण्डल शिमला-171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई का संटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. आयुक्त एवम् सचिव (आवास) हि0प्र0 सरकार शिमला-2.
3. सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड, निगम विहार शिमला-171002.
4. श्री श्याम लाल कपूर, उप नियन्त्रक, द्वारा--------------------
5. श्री जी.के.नड्डा सहायक नियन्त्रक (लि0प0), द्वारा--------------
6. श्री जे.एस.पटियाल, अनुभाग अधिकारी, द्वारा---------------

श्याम लाल कपूर 7/7/95
उप नियन्त्रक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.